

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ)-PMGSY-1652/2019-104333 / पटना, दिनांक-20/01/2020
प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार्गत कार्य प्रमंडल-बेनीपट्टी के अंतर्गत छः पथों
निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-1/मु0अ0,त0स्वी0-18-719/19 9877 अनु0 दिनांक-31.12.201
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल-बेनीपट्टी के अंतर्गत छः पथों
पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसमें चार पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि
प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20 प्रतिशत से कम है जिसकी वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

District	Block	Package No	Name of Road	Length (km)	Original Sanction Cost (Rs. In Lakh)	Original Sanction Maint. Cost (Rs. In Lakh)	Total Cost (Rs. In Lakh)	Revised Length (km)	Revised Cost (Rs. In Lakh)	Revised Maint. Cost (Rs. In Lakh)	Total Revised Cost (Rs. In Lakh)	% increase	Cons. Cost Per km (Rs. In Lakh)
Madhubani	Madhubani	BR-21R-194	Bangura to Taraya	5.099	326.26	17.61	343.87	5.099	374.96	34.71	409.67	19.14	73.54
Madhubani	Bisfi	BR-21R-186	Biagauri to L049 (Noorehak)	6.263	423.64	21.61	445.25	6.263	445.51	45.92	491.43	10.37	71.13
Madhubani	Benipatti	BR-21R-173	Dhakari to Adwari	7.622	567.76	26.26	594.02	7.622	643.49	36.43	679.92	14.46	84.43
Madhubani	Bisfi	BR-21R-176	Navaratan Tola to Gajawa	4.182	286.24	14.45	300.69	4.181	291.92	26.92	318.84	6.04	69.82

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 6439 दिनांक-28.08.2018 के कंडिका (अनुसार "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत की वृद्धि होने के स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशास्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर जायेगा।"

उक्त के आलोक में चारो पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल में वापस किया जाता है।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(1) 20/01/20

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।